न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 6441 / 2002 / बाड़मेर

1. चिना उर्फ चिमा पुत्र श्री नगा जाति भील निवासी गोरालिया तहसील शिव जिला बाड़मेर।
2. साकर पुत्र श्री मता जाति मुसलमान निवासी सरगिला तहसील शिव जिला बाड़मेर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव।
2. अमीन (मृतक) के कायम मुकाम :–
   2 / 1. श्रीमती हाजरा पत्नी श्री अमीन जाति मुसलमान निवासी जुम्मे की बस्ती तहसील शिव जिला बाड़मेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री वी. एस. राठौड़ : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री वी. पी. सिंह : राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
श्री समीर अहमद अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 / 1

——

दिनांक : 17 / 9 / 2018

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 97 / 2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 / 7 / 2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 अमीन एवं सेफल ने उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर के न्यायालय में एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विवादित भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 226 बीघा 14 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया, जो उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा दिनांक 30/4/1965 को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अमीन के हिस्से में खसरा नम्बर 79 की 1/2 हिस्सा अर्थात 113 बीघा 7 बिस्वा भूमि आई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अमीन द्वारा राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की एवं पुनः खातेदारी घोषित करवाने हेतु उसी न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान सहायक कलेक्टर, बाड़मेर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वाद को स्वीकार कर लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में पारित पूर्व निर्णय दिनांक 30/4/1965 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने अपीलार्थीगण के शरणार्थी होने से कारण उक्त विवादित खसरे में 40–40 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन को सहायक कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा निरस्त कर पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कायम मुकाम के नाम से विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31/7/2002 से निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनका कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आदेश दिनांक 30/4/1965 की पालना में न तो इजराय पेश की और न ही अपना नाम राजस्व रिमार्ड मे अमल दरामद करवाया। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज थी। अपीलार्थीगण को विवादित आराजी सिवाय चक होने के कारण ही आवंटित की गई है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा लगभग 20 वर्षों से चला आ रहा है। विवादित आराजी अपीलार्थीगण को नियमानुसार सरकारी खाते की भूमि होने के कारण आवंटित की गई है। उक्त आवंटन को बिना किसी सक्षम कार्यवाही के उप खण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत वाद के जरिये खारिज करते हुए उसका वाद गलत तरीके से डिकी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात पर न तो कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किया गया और न ही तनकीयात पर कोई स्पष्ट अभिमत अंकित

किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण की अपील सरसरी तौर पर परीक्षण न्यायालय द्वारा विचरीत तनकीयात पर अपना कोई निष्कर्ष अंकित किये बिना ही खारिज की है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए अपीलीय न्यायालय एवं उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए अपनी बहस में मुख्यत यह तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को मौजा सरगोला के खसरा नम्बर कमशः 1005/8 रकबा 40 बीघा एवं खसरा नमबर 1607/3 रकबा 40 बीघा का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्क औचित्य विहीन हो चुके है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होता है और केवल विधि के प्रश्न को द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का वाद डिक्री करते समय अपीलार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त करते हुए उन्हें आवंटित भूमि के बदले अन्य भूमि आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा आदेश की पालना में पूर्व आवंटी अपीलार्थीगण क्रमशः चीना वल्द नगा तथा साकर वल्द मता को ग्राम सरगोला के खसरा नम्बर 1005/8 में रकबा 40 बीघा का आवंटन उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर के आदेश क्रमांक 255 दिनांक 17/1/2002 को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलार्थीगण का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उन्हें जो भूमि आवंटित की गई है वह बंजड़ एवं कम उपजाउ है। क्योंकि आवंटन के समय उपलब्ध सिवाय चक भूमि ही आवटित की जा सकती है, न कि उपलब्ध सिवाय चक भूमि की किस्म देख कर। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों के अवलोकन के आधार पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किये गये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील

के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन पायी जाती है।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष